न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 20/2017 प्रार्थना पत्र

डाडमचन्द पिता जीतमल जाट, आयु वयस्क, निवासी किशनपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. **रामेश्वरलाल पिता चुन्नीलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी किशनपुरा।**
2. **महीपाल पिता रामेश्वर जाट, उम्र वयस्क, निवासी किशनपुरा।**
3. **भरत पिता रामेश्वर जाट, आयु वयस्क, निवासी किशनपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।**
4. **राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।**

– विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

निर्णय दिनांक 31.01.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा किशनपुरा की खाता संख्या 34 की आराजी नं. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 181, 185, 186 कुल किता 11 कुल रकबा 4.1200 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इसमें प्रार्थी का 1/9 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का है। विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थी को अपने हक हिस्से की आराजीयात पर आने जाने व चाह नम्बर 76 से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए प्रार्थी विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि विपक्षीगण प्रार्थी के 1/9 हक हिस्से में जबरन दखलअन्दाजी नहीं करें ना करावें। प्रार्थी को शांतिपूर्ण ढंग से काबिज होकर उपयोग उपभोग करनें दें। चाह नम्बर 76 से पानी निकाल कर सिंचाई करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। राजस्व रेकार्ड तथा मौके की यथास्थिति मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक कायम रखें। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होकर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया।

नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम किशनपुरा की खाता संख्या 34 अनुसार प्रार्थी डाडमचन्द का बाबुलाल व गोपालाल के साथ संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 2 व 3 विपक्षी संख्या 1 के पुत्र है। प्रार्थी विवादित भूमि के 1/9 हिस्से का दर्ज खातेदार है। विपक्षी संख्या 1 भी विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार है। दोनों पक्षों का अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। विवादित भूमि का पक्षकारों के मध्य कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का हिस्सा विवादित भूमि में चिन्हित ही नहीं है। बगैर विधिवत बंटवारे के प्रार्थी के हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता दिया जाना सम्भव नहीं है। रेकार्ड में नाम दर्ज होने से प्रार्थी के दर्ज हिस्से का हस्तान्तरण किया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी को अपने हिस्से पर सहायता प्राप्त करने से पूर्व विवादित आराजीयात का विधिवत बंटवारा करा अलग खातेदारी में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक सहायता योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा